

## विषय:संविदा आधार पर हिन्दी अनुवादक का अनुबंध।

1. संविदा आधार पर हिन्दी अनुवादक के रूप में कार्य करने हेतु भारत सरकार/लोक उद्यमों/ स्वयत्त संस्थानों/ राज्य सरकारों से सेवानिवृत्त कर्मियों जिनकी अवस्था 01.04.2016 को 63 वर्ष से कम है, से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
2. समस्त कागजातों सहित आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19.02.2016 है।
3. **शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव निम्नानुसार है:**
  - मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ-साथ स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा स्वैच्छिक विषय के रूप में हो अथवा परीक्षा का माध्यम हो; अथवा
  - मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ-साथ स्नातक स्तर पर हिन्दी अनिवार्य अथवा स्वैच्छिक विषय के रूप में हो अथवा परीक्षा का माध्यम हो; व
  - हिन्दी अनुवादक/राजभाषा अधिकारी के रूप में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए (तकनीकी/गैर-तकनीकी सामग्री को अंग्रेजी से हिन्दी में अथवा इसके विपरीत) एवं राजभाषा अधिनियम/ नीति/नियम की जानकारी होनी चाहिए।
  - आवेदक को कम्प्यूटर के प्रयोग सहित कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले हिन्दी साफ्टवेयर के उपयोग का ज्ञान होना चाहिए।
  - हिन्दी टैक्स्ट मैटर, प्रचार सामग्री, प्रूफ रीडिंग एवं पत्रिकाओं, सफलता की कहानियां, वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि के मुद्रण हेतु किए गए कार्य की हार्ड एवं साफ्ट कॉपी उपलब्ध करानी होगी।
  - आवेदक को सामाजिक क्षेत्र में सेवाएं देने की आम इच्छा होनी चाहिए।

### अनुबंध की शर्तें निम्नानुसार होगी:

1. अनुबंध पूरी तरह से संविदा आधार पर होगा,
2. आरंभ में अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी जो प्रबन्धन के विवेकानुसार समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है। अनुबंध के आधार पर यह नियुक्ति अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी अन्यथा इसे प्रबंधन द्वारा लिखित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है।
3. संविदा अनुबंध किसी भी ओर से एक माह की नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।
4. 65 वर्ष की अवस्था के उपरान्त सेवा अवधि को बढ़ाया नहीं जाएगा।
5. आवेदक को पद की शैक्षिक योग्यता एवं कार्य विनिर्देश को पूर्ण करना चाहिए।
6. अनुवाद कार्य हेतु अनुबंधित किए गए व्यक्ति को निगम में नियमित सेवायोजन का अधिकार नहीं होगा।
7. आवेदक कार्यालय में नियमित उपस्थिति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
8. अनुबंधित व्यक्ति की सेवाएं सेवा नियमों, सी.डी.ए.नियमों एवं निगम द्वारा इस संबंध में समय-समय पर बनाए गए नियमों से नियंत्रित होगी।
9. टी.ए./डी.ए. एवं अन्य का भुगतान एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के सहायक प्रबन्धक स्तर की पात्रता के अनुसार किया जाएगा।
10. समेकित पारिश्रमिक का निर्धारण आवेदक से बातचीत के आधार पर निश्चित किया जाएगा।
11. पारिश्रमिक में महगाई भत्ता, परिलब्धियां, एल.टी.सी., चिकित्सा लाभ इत्यादि लाभ देय नहीं होंगे।